संख्या-24/2018/383/33-3-2018-02/2016

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,

अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

सोनभद्र एवं मिर्जापुर।

पंचायती राज अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक: 02 अप्रैल, 2018**

विषय:- जनपद-सोनभद्र एवं मिर्जापुर की ग्राम पंचायतों में पानी की समस्या के दृष्टिगत रखते हुए पेयजल की व्यवस्था टैंकर के माध्यम से आपूर्ति करनें के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-234/33-3-2016-2/2016 दिनांक 18.02.2016 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहनें का निदेश हुआ है 14 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को आवंटित अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु निर्गत मार्गदर्शक सिद्धांत दिनांक 18.02.2016 के पैरा-प्रथम में जनपद-सोनभद्र एवं मिर्जापुर की ग्राम पंचायत स्तर पर पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करनें हेतु निम्न पैरे को जोड़ते हुए टैंकर की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय:-

वर्तमान व्यवस्था-

14 वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को आवंटित धनराशि अपने क्षेत्रान्तर्गत मूल भूत सुविधाओं यथा पेयजल सुविधा स्वच्छता, सेप्टिक प्रबंधन, ठोस एवं तरल प्रबंध अपशिष्ट प्रबंध, (एस.एल.डब्लू.एम.) सीवेज, बाढ़ के पानी की निकासी सामुदायिक सम्पत्तियों का रख-रखाव उत्पाद स्ट्रीट लाइट, कब्रिस्तान/शमशान भूमि एवं अन्य मूल भूत सुविधाओं जिसका कार्य राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को दिया गया है, के निर्माण/रख-रखाव पर व्यय किया जायेगा।

संशोधित व्यवस्था-

14 वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को आवंटित धनराशि अपने क्षेत्रान्तर्गत मूल भूत सुविधाओं यथा पेयजल सुविधा स्वच्छता, सेप्टिक प्रबंधन, ठोस एवं तरल प्रबंध अपशिष्ट प्रबंध, (एस.एल.डब्लू.एम.) सीवेज, बाढ़ के पानी की निकासी सामुदायिक सम्पत्तियों का रख-रखाव उत्पाद स्ट्रीट लाइट, कब्रिस्तान/शमशान भूमि एवं अन्य मूल भूत सुविधाओं जिसका कार्य राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को दिया गया है, के निर्माण/रख-रखाव पर व्यय किया जायेगा। जनपद-सोनभद्र एवं मिर्जापुर में जिन ग्राम पंचायतों में पानी की समस्या है, उन ग्राम पंचायतों में टैंकर खरीद

http://shashadeshup.nic.in

कर पानी की आपूर्ति की जायेगी। चिन्हित ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर का क्रय अपने स्तर से किया जाएगा एवं उक्त कार्य ग्राम पंचायत की 14वें वित्त आयोग की कार्ययोजना में सम्मिलित किया जाएगा।

1- जिलाधिकारी यह तय करेंगें कि किन ग्राम पंचायतों में टैंकर से जलापूर्ति आवश्यक है, उन्ही ग्राम पंचायतों में टैंकर अनुमन्यता होगी, तथा टैंकर की क्षमता (लीटर में) का निर्धारण सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

2- टैंकर का क्रय वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।

3- टैंकर में पानी भरनें के लिए श्रोत स्तर तक लानें ले जाने/ले आनें की व्यवस्था किराये के ट्रैक्टर से की जायेगी। किराये का भुगतान प्रति कि0मी0 की दर से सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा। यह दर जनपद के जिलाधिकारी द्वारा नियमानुसार निर्धारित किया जाएगा।

4- ग्राम पंचायत की आबादी एवं परिवारों की संख्या एवं 14वें वित्त आयोग में ग्राम पंचायतों को प्राप्त होंनें वाली धनराशि ध्यान में रखकर यदि किसी ग्राम पंचायत में एक से अधिक टैंकर की आवश्यकता होगी तो उसका निर्णय जिलाधिकारी द्वारा लिया जाएगा।

5- उक्त व्यवस्था केवल जनपद-सोनभद्र एवं मिर्जापुर की ग्राम पंचायतों में लागू होगी।

शासनादेश संख्या-234/33-3-2016-2/2016 दिनांक 18.02.2016 इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। उक्त शासनादेश दिनांक 18.02.2016 की शेष शर्तें एवं प्रतिबंध यथावत रहेंगी। साथ ही साथ बुन्देलखण्ड के अन्तर्गत आने वाले जनपदों के लिए शासनादेश संख्या-769/33-3-2016-02/2016 दिनांक 14.03.2016 यथावत प्रभावी बना रहेगा। उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या व दिनांक:- तदैव।</u>

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-सचिव, पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

2-प्रमुख स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

3-स्टाफ अधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।

4-प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,उ0प्र0 शासन।

5-निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0 लखनऊ।

6-आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0।

http://shasnadeshup.nic.in

7-मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।

8-समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

9-समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

10-समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उ0प्र0।

11-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चंचल कुमार तिवारी)

अपर मुख्य सचिव।

http://shasnadeshup.nic.in